

वीणा

मंगल ७/५/१८

PORTAL

सरवर्क

राजस्थान सरकार

२०१६/००९३६

न्यायालय

६-३-१८

तारीख पेशी

१८/५/१८

९/१८

५/११/१८

१३/११/१८

अ. अ. १५/२/१८

२/५/१८

फिस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	नाम मौजा	तारीख फैसल	नम्बर फैसल
२१२	८९/१६	१३/११/१६		२२/६/१८	

श्री. भास्कराम माली अनवान

श्री. शंभूराज माली

श्री

कृष्णमोहन माली

बनाम

श्री

श्री. शंभूराज माली

निगराकार/प्रार्थी/अपी.

अप्रार्थी/रेस्पो.

कार्यवाही अन्तर्गत धारा.....

ए. श्री. AKHIL

ए. श्री

V.K.H.K.

P.T.

फर्द अहकाम
(नियम 26)

S. D. O.

M. U. P.



मुकाम

लालाराम पिता अरव्यारी गान्धी बनाम मोरवर पिलो मोहन गान्धी

नं. 212 R.T. A

89

सन् 2016

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/01/18	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई अमि. वादी पतिवादी उपरिष्ठ पीठासीन अधिकारी 21/01/18 से प्यारे है। पत्रावली वास्तु 21/01/18 से 8/5/18 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">  से रोडर अधिकारी मण्डलागढ़ </p>	
22/06/18	<p>पत्रावली न्याय आपेठे द्वार कैंप बीगोद के पेश हुई। अमिभाषक उच्चपक्षों की वृत्त सुनी गई वृत्त में दोनों पक्षों ने दिनांक 13/12/16 को जारी स्थगन आदेश को झूलवाद के निलतारण को लठ पथावत रखने हेतु अपनी सहमति उपान की।</p> <p>अतः आर्चना पत्र में उच्चपक्षों की सहमति के आधार पर दिनांक 13/12/16 को जारी स्थगन आदेश को झूलवाद के निलतारण लठ पथावत रखा जाने का आदेश दिया जाता है। आर्चना पत्र झूलवाद के साथ संलग्न रहे। पत्रावली के माल सुधार होकर नम्बर से अज है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डलागढ़ </p>	